उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सुरक्षा का दायित्व निभा रही हैं "महिला पुलिस बीट अधिकारी"

मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम ।

जनपद महोबा में महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत संचालित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 29.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस नोडल मिशन शक्ति श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया गया तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 29.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से छिनैती की घटना का किया सफल अनावरण, घटना में प्रयुक्त बाइक व माल की शत-प्रतिशत बरामदगी करते हुये 02 नफर अभियुक्तों को अवैध तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 28.09.2024 को रजनीश तिवारी पुत्र जयदयाल तिवारी निवासी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा अपनी पत्नी श्रीमती मंजू तिवारी के साथ अपनी मोटर साइकिल से रमपुरा गरौठा जनपद झांसी जा रहे थे ग्राम छतेसर वन विभाग कार्यालय के सामने पहुँचे थे तभी पीछे से एक मोटर साइकिल पर सवार 02 अज्ञात युवकों के द्वारा श्रीमती मंजू तिवारी का बैग छीन कर छिनैती की घटना कारित की गयी थी।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 239/24 धारा 134 बी.एन.एस. बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-

श्री पलाश बंसल, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुये घटना के शीघ्र अनावरण हेतु जनपद/थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में श्रीमती वन्दना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पनवाड़ी सुनील कुमार सिंह द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु गठित टीमों के साथ संयुक्त रुप से संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया व घटनास्थल के आस-पास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरो को खंगाला गया, गठित पुलिस टीमों के अथक प्रयास से कुछ ही घण्टों में सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. मुकेश राजपूत पुत्र गणेश राजपूत उम्र 19 वर्ष 2. निर्दोष खंगार पुत्र प्रकाश खंगार उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को 01-01 अवैध तमंचा व कारतूस के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों की निशादेही पर छीने गये बैग व घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया गया तथा अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 क्रमशः 240/24 व 241/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

बरामदगी-

1. एक अदद वीवो मोबाइल कीमत लगभग 15,000 रूपये
2. 02 अदद तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर बरामद।
3. एक अदद ब्राउन रंग का बैग, नगद 4,000 रूपये।
4. मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त मोटर साइकिल न0 यू0पी0 95 एम 6415

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मुकेश राजपूत पुत्र गणेश राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. निर्दोष खंगार पुत्र प्रकाश खंगार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.थाना प्रभारी/वरि0उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा 2. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य 3. उ0नि0 रामकिशन यादव
4.का0 कौशल प्रताप 5. का0 मिथुन कुमार 6. का0 विनोद कुमार
7.का0 देवेन्द्र कुमार 8. म0का0 शिवानी 9. म0का0 चंचल

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध सूखे गांजे के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 29.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी व प्रशि0उ0नि0 अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र मोहनलाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम अमानपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 533 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज बरामद करते हुये ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 182/24 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

देवेन्द्र पुत्र मोहनलाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम अमानपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी
2. प्रशि0उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
3. हे0कां0 शत्रुघन सिंह
4. कां0 अरुण यादव